राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018,फोन– 0141–2552796

प.1(6)(17)RSSB/संस्था. / सला. / 2023 / 57 दिनांकः 09/06/2023

श्री महेन्द्र कुमर शर्मा, (सेवानिवृत लेखाधिकारी),
192 / 253, प्रतापनगर, कुम्भा मार्ग,
302033, जयपुर।

एकल स्त्रोत निविदा सूचना

विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 17(1) के अन्तर्गत बोर्ड में सलाहकार (अर्थना) के पद पर प्रस्ताव आमंत्रित करने बाबत्।

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन ग्रेड–पे रू 3600 / – (पे–मेट्रिक्स लेवल L-10) तक की अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं के लिए कार्मिकों का चयन करने हेतु किया गया है। आप राजस्थान लेखा सेवा से सेवानिवृत हुए है। बोर्ड में स्वीकृत सलाहकार के पद पर आप जैसे अनुभवी व्यक्ति की शीघ्र आवश्यकता है। आपका कार्यकाल बोर्ड में दिनांक 31.03.2024 तक का होगा। सलाहकार (अर्थना) पद के लिए जॉब चार्ट संलग्न है।

आप कृपया अपने अनुभव का विस्तृत विवरण देते हुए बोर्ड में सलाहकार पद हेतु आपकी सहमति तथा अधिकतम रू. 50,000 / – प्रतिमाह तक वित्तीय प्रस्ताव तीन दिवस में प्रस्तुत करें।

संलग्न :– सलाहकार (अर्थना) पद हेतु जॉब चार्ट

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर–302018,फोन– 0141–2552796

सलाहकार (अर्थना) पद हेतु संविदा सेवाओं के लिए जॉब चार्ट

सलाहकार से मासिक तौर पर निम्नांकित कार्य की सेवाएं ली जावेंगी:–

1. विभिन्न विभागों/बोर्ड/निकायों से अर्थना प्राप्त करने में सलाह/सहयोग प्रदान करना।
2. विभागों/बोर्ड/निकायों से प्राप्त अर्थनाओं का परीक्षण करना/सुझाव प्रदान करना।
3. बोर्ड में प्राप्त अर्थना से संबंधित विभाग के नियमों/उपनियमों व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों, आदेशों व अधिसूचनाओं आदि से बोर्ड को अवगत करवाना।
4. बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली अर्थना संबंधी विज्ञप्तियों का जारी होने से पूर्व व बाद में परीक्षण कर बोर्ड को अवगत कराना।
5. विज्ञप्ति जारी होने के उपरान्त अर्थना के संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त परिवेदनाओं का नियमों के अनुसार निस्तारण करना।
6. अर्थना संबंधी न्यायालयों के निर्णयों व कार्मिक विभाग के आदेशों, नियमों की पालना कराना।
7. बोर्ड मीटिंग में दिये गये निर्देशों/आदेशों की पालना कराना।
8. अन्य तत्कालिक कार्य जो अध्यक्ष महोदय द्वारा समय–समय पर बताये जावें।

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष